(109)

कार्यालय जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

पत्रॉकः /जि0यो0–प्र0वि0स्वी0/2011–12 दिनॉकः 2 सितम्बर, 2011

कार्यालय ज्ञाप

प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रम एंव सेवायोजन अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 636/VIII/11–14 (सेवा)/2008 दिनॉक 31 मई, 2011 द्वारा अनुदान संख्या–16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में वित्तीय वर्ष 2011–2012 हेतु सेवायोजन प्रखण्ड में प्राविधानित धनराशि ₹ 1.00 लाख की स्वीकृत कर अधोहस्ताक्षरी के निर्वतन में रखी गई है।

जिला सेवायोजन अधिकारी पिथौरागढ़ ने अपनी टीप–1 दिनाक 29–08–2011 द्वारा उक्त धनराशि ₹ 1.00 लाख से ऑन लाईन पंजीयन हेतु 01 प्रिंटर, 02 कम्प्यूटर एंव बेरोजगार अभ्यार्थियों के लाभार्थ हेतु कैरियर साहित्य/फार्मो की छपाई/जॉब फेयर हेतु वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति चाही गयी है।

उक्त संदर्भित शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार जिला सेवायोजन अधिकारी पिथौरागढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में वर्ष 2011–12 की जिला योजना में सेवायोजन विभाग हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से अनुमोदित कार्यो के सम्पादन हेतु **मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉक 24.03.2008 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उक्तानुसार ₹ 1.00 लाख (एक लाख रूपये) की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती हैः–**

1. उक्त संदर्भित पत्र, प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रम एंव सेवायोजन अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 636/VIII/11–14 (सेवा)/2008 दिनॉक 31 मई, 2011 में उल्लेखित समस्त शर्तो एवं प्राविधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
2. इस धनराशि का व्यय केवल जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा वर्ष 2011–12 में अनुमोदित कार्यो के लिये किया जायेगा।
3. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय स्वीकृत योजनाओं पर ही आवंटित सीमा तक किया जाए। धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेश के तहत् किया जाए। जहाँ आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति/स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए।
4. **जिन मामलो में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो उसमें धनराशि व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृतियाँ अवश्य प्राप्त कर ली जाए।**
5. स्वीकृति धनराशि ऐसे कार्यो पर व्यय न की जाए जिसमें किसी प्रकार का विवाद हो।
6. स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2012 तक कर लिया जाए तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रगति विवरण विभागाध्यक्ष/शासन को उपलब्ध कराया जाए।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु भण्डार क्रय प्रकिया **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति प्रोक्योरमेन्ट रूल्स, 2008** के अधीन शर्तो व नियमों तथा अन्य सुसंगत नियम/शासनादेश आदि का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
8. व्यय केवल उन्हीं मदो में किया जाए जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है। आहरण/व्यय एक मुस्त न करके आवश्यकता अनुसार ही किया जाए।
9. व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कडाई से अनुपालन किया जाए।
10. उपरोक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय शासनादेशों में निहित शर्तो के अधीन किया जाए।
11. स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन/विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाऐगा।
12. मासिक व्यय विवरण/बी0एम0–8 प्रत्येक माह अपने विभागाध्यक्ष को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्रमशः 2

13. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अनुदान संख्या–16 के प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रम एंव सेवायोजन अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 636/VIII/11–14 (सेवा)/2008 दिनॉक 31 मई, 2011 में उल्लेखित सुसंगत लेखाशीर्षकों के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 624/जि0यो0/रा0यो0आ0/मु0स0/2008 दिनॉ 24.03.2008 तथा प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, श्रम एंव सेवायोजन अनुभाग, देहरादून के शासनादेश संख्या 636/VIII/11–14 (सेवा)/2008 दिनॉक 31 मई, 2011 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

(डा0 एम0सी0 जोशी)
जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।

संख्याः 1422/जि0यो0/प्रा0वि0स्वी0/2011–12 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिला सेवायोजन अधिकारी पिथौरागढ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी पिथौरागढ ।
3. उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) कुमायूँ मण्डल, हल्द्वानी।
4. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।

प्रतिलिपेः सूचनार्थ प्रेषित।

1. ऑयुक्त कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, देहरादून।
3. सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2/राज्य योजना आयोग बजट सैल, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ।